न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–95 / 2022

जी.सी.एम.एस नं.–2022 / 249

भैराराम पुत्र टिकुराम जाति मेघवाल निवासी चक 2 के (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

-----प्रार्थी

बनाम्

1. सोहनलाल पुत्र गोपालसिंह जाति बावरी निवासी चक 2के (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित–

1. श्री रविन्द्र कुमार बलाना एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेश कुमार डाल एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 10/03/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके चक 2 के (बी) तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–217 / 30 का किला नं.–1 / 2, 2, 3, 8, 9, 10 / 1, 11 / 2, 13, 18, 19, 20 / 2, किला नं.–21 / 1, किला नं.–22 / 2 में कुल 2.9850 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जमाबंदी की चित्र प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त कृषि भूमि में से किला नं–21 / 1, किला नं.–22 / 2 को प्रार्थना पत्र में आयंदा वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में से चक 2 के (बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–217 / 30 का किला नं–21 / 1, किला नं.–22 / 2 कृषि भूमि उपजिला कलक्टर अनूपगढ़ द्वारा प्रार्थी के नाम से स्मालपैच में आवंटन की गई थी। प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि पर आवंटन के पूर्व से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। चित्र प्रति आवंटन आदेश सलग्न है। इसी मुरब्बा के किला नं.–21 / 2, 22 / 1, 23 / 1, 24, 25 / 1 में 0.1270 हैक्टर कमाण्ड रकबा अप्रार्थी के नाम से आवंटित है। प्रार्थी को कृषि भूमि किला नं. –21 / 1 किला नं.–22 / 2 स्मालपैच में आवंटन होने के बाद अप्रार्थी सं.–1 उक्त आवंटन के खिलाफ माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की जो माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खारिज फरमा दी गई। अप्रार्थी सं.–1 की अपील खारिज होने के बाद से लगातार अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी को स्मालपैच में आंवटित कृषि भूमि किला नं.–21 / 1, [illegible] 22 / 2 पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। जिसके चलते अप्रार्थी [illegible] हर समय प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा तथा छोटी–2 बातो [illegible] रहता है। अप्रार्थी सं.–1 अक्सर प्रार्थी को धमकाता रहता है कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि पर शीघ्र ही कब्जा करेगा यदि प्रार्थी या प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य बीच में आया तो वह उसे जान से मार देगा। इस पर प्रार्थी ने कई [illegible] पंचायत कर अप्रार्थी सं.–1 को समझाने का प्रयास किया लेकिन अप्रार्थी सं.–1 किसी की बात नहीं सुनता तथा प्रार्थी को कहता कि प्रार्थी ने वादग्रस्त कृषि भूमि स्मालपैच में आवंटन तो करवा ली है लेकिन अप्रार्थी सं.–1 उस पर कब्जा करके रहेगा। आज से 4–5 रोज पूर्व अप्रार्थी सं.–1 अपने साथ बदमाश किस्म के लोगों को लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मौका पर आया तथा वादग्रस्त कृषि भूमि की बट पर तारबंदी करने के लिए खुटे रोपने की तैयार कर रहा था तथा उसके साथ आऐ बदमाश किस्म के व्यक्ति उसकी सहायता कर रहे थे। प्रार्थी को इसकी जानकारी मिलने पर प्रार्थी अपने साथ गांव के कई व्यक्तियो को लेकर मौका पर आया तथा अप्रार्थी सं.–1 व उसके साथ आऐ व्यक्तियो को वहां से खदेड़ दिया लेकिन जाते समय अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी को ऐलानिया धमकी देकर गया है कि वह शीघ्र ही दलबल सहित मौका पर आकर वादग्रस्त कृषि भूमि के चारो तरफ तारबंदी कर वादग्रस्त कृषि भूमि को अपनी भूमि में शामिल कर लेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि को स्मालपैच में आवंटन है तथा प्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है तथा आवंटन के पूर्व से प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है लेकिन अप्रार्थी सं.–1 बदयान्ति पूर्वक आश्य से वादग्रस्त कृषि भूमि के चारो तरफ तारबंदी कर कब्जा करने की फिराक में है जिस संबंध में अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी भी दी है। यदि अप्रार्थी सं.–1 अपने इस अवैध आश्य मे कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका मुल्याकंन मुद्रा की ऐवज में नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि आवंटन से पूर्व प्रार्थी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है तथा प्रार्थी को स्मालपैच में आवंटन है। प्रार्थी का यह विधिक अधिकार है कि प्रार्थी अपनी सम्पतिं का उपयोग उपभोग करे तथा अपनी सम्पतिं संबंधी अधिकारो की रक्षा करे लेकिन अप्रार्थी सं.–1 बिना किसी विधिक अधिकार के इसमे बेजा मदाखलत पैदा कर व्यवधान पैदा कर रहा है। इसलिए प्रार्थी के पास यह वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक 2 के (बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–217/30 का किला नं.–21/1, किला नं.–22/2 में प्रार्थी के कब्जा काश्त, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार की दखलदांजी करने, करवाने से बाज व ममनु रहे तथा मौका की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं.–1 के पास किला नं–21/1 व 22/2 का कब्जा आवंटन के रोज से चला आ रहा है। उक्त रकबा पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा नही रहा है। अप्रार्थी सं.–1 के नाम से उक्त कृषि भूमि का किला नं.–21/2 व 22/1 आवंटन है जिसकी जमाबंदी की नलग सलग्न है। अप्रार्थी सं.–1 के पास आवंटन आदेश दिनांक 10.04.2008 की प्रति है जिसकी प्रति सलग्न है। आवंटन के बाद अप्रार्थी सं.–1 ने उक्त भूमि के चालान जमा करवा दिऐ है। चालान की प्रति सलग्न है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं.–1 का ही हमेशा से कब्जा रहा है। अप्रार्थी सं.–1 जो कि 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जिसके केवल मात्र तंग परेशान करने के लिए यह प्रकरण पेश किया गया है तथा प्रार्थी ने स्थगन आदेश की आड़ मे अप्रार्थी सं.–1 की जमीन पर कब्जा कर हड़प करना चाहता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना–पत्र के निर्णय के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि किला नं–21/1, किला नं.–22/2 कृषि भूमि उपजिला कलक्टर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

अनूपगढ़ द्वारा प्रार्थी के नाम से स्मालपैच में आवंटन की गई थी। प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि पर आवंटन के पूर्व से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। पत्रावली के उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से उक्त कृषि भूमि का किला नं.–21/2 व 22/1 राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से खातेदार दर्ज है। तथा इस मुरब्बा में किला नं.–21/2 का 0.026 हैक्टर, किला नं.–22/1 का 0.025 हैक्टर अप्रार्थी सं. –1 सोहन लाल के नाम से गैररखातेदार दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम से किला नं.–21 व 22 में पृथक–पृथक कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या विवादित कृषि भूमि का वादी रिकॉर्डेड खातेदारी कृषक है इसलिए प्रथम दृष्ट्या प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। पक्षकारों के स्वत्व व अधिकार मूल वाद में साक्ष्य आने के उपरांत निर्णीत होगें इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति का सुरक्षित किया जाना उचित समझता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

सुविधा का संतुलन :–चूंकि प्रथम दृष्ट्या वादी विवादित कृषि भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा मूल वाद तक विवादित सम्पत्ति को सुरक्षित किया जाना उचित है इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अपूर्णीय क्षति :–यदि विवादित सम्पत्ति वाद के निर्णय तक सुरक्षित नहीं की जाती तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी विवादित कृषि भूमि वाके चक 2 के (बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. –7 पत्थर सं.–217/30 का किला नं.–21/1, किला नं.–22/2 मे अप्रार्थी किसी भी प्रकार से दखलअंदाजी करने से वर्जित रहे लेकिन उक्त स्थगन आदेश अप्रार्थी के नाम की इसी मुरब्बा के किला नं.–21/2 का 0.026 हैक्टर, किला नं.–22/1 का 0.025 हैक्टर पर प्रभावी नहीं होगा।

निर्णय आज **दिनांक** 10/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested